

के लिए सांका साहसिक कार्य प्रदर्शन  
नाकर दिनांक 4.7.24 को पेश है

4.7.24

पत्रावली पेश हुई व कुलार्थ पक्षकार उपस्थित।  
हस्तगत प्रकरण का मूल वार आदेश 7 नियम 10 के  
तहत लॉटरी का आदेश लेने से इस प्रकरण में अब कोई  
कार्रवाई शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना भी आदेश 7 नियम 10 के तहत  
सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये हेतु लौटाया जाता है।  
पत्रावली एवं उपलब्ध दार्शनिक पत्र बिना उपावहे प्रिस्तारित  
किया जाता है। निर्णय तैरुमजलात सुनाया गया। प्रकरण  
फैलल शुभ्रा छोडा नम्बर से कम है।

(रियासबी)  
IAS